

कार्यालय नगर पालिका परिषद, सम्भल (उप्र)

पत्र संख्या:- 12

/गृह0वि0/2022

दिनांक:- 16.5.2022

कैंटीन/साइकिल/वाहन स्टैंड आदि का ठेका उठाने हेतु नीलामी की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद, सम्भल में वर्ष 2022-23 (01.06.2022 से 31.03.2023 तक) हेतु निम्न तालिका में अंकित विवरण अनुसार किराये पर लेने हेतु नीलामी खुली बोली के माध्यम से दिनांक:- 26.05.2022 दिन ~~शुक्रवार~~ समय पूर्वाह्न 11:00 बजे कार्यालय नगर पालिका परिषद, सम्भल के प्रांगण में की जायेगी।

कार्य/नीलामी का विवरण


क्र० सं०	कार्य का विवरण	बोली/नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति हेतु पंजीकरण शुल्क	जमानत धनराशि
1	चौधरी सराय चौराहा पर स्थित कैंटीन की नीलामी।	10,000/- रुपये	2,50,000/- रुपये
2	सद्भावना पार्क/मनोकामना रोड में स्थित कैंटीन की नीलामी।	5,000/- रुपये	75,000/- रुपये
3	नगर पालिका परिसर में साइकिल/वाहन स्टैंड का ठेका पार्किंग शुल्क की नीलामी।	10,000/- रुपये	1,00,000/- रुपये
4	विज्ञापन की नीलामी/ठेका (होर्डिंग, बिजली के खम्बों पर लगाये जाने वाले विज्ञापन, साइन बोर्ड, टिन प्लेट विज्ञापन, दीवार पर पेन्टिंग, कपड़े के बैनर आदि के विज्ञापन, इत्यादि)।	15,000/- रुपये	3,00,000/- रुपये

नीलामी में भाग लेने से पूर्व अनिवार्य शर्तें :-


- 1- जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र।
- 2- पंजीकरण शुल्क।
- 3- जमानत धनराशि।
- 4- आधार कार्ड।
- 5- पैन कार्ड।
- 6- नगर पालिका परिषद, सम्भल से निर्गत अदेय प्रमाण पत्र।
- 7- बोली में भाग लेने वाले व्यक्ति द्वारा दस रुपये के स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि उनके विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा पंजीकृत नहीं है।

शेष शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

- 1- बोली/नीलामी में भाग लेने हेतु पंजीकरण शुल्क जमा कर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। साथ ही नियत दिनांक:- 25.05.2022 समय अपराह्न 5:00 बजे तक जमानत धनराशि (डी0डी0/नकद) जमा करनी होगी। किन्तु पंजीकरण शुल्क वापस नहीं होगी। पंजीकरण शुल्क/जमानत धनराशि चेक के माध्यम से स्वीकार नहीं होगी।
- 2- पंजीकरण कराने के पश्चात जमानत धनराशि जमा करने वाला व्यक्ति ही बोली/नीलामी में भाग ले सकता है।
- 3- नीलामी ठेका स्वीकृति के उपरान्त उस व्यक्ति को कुल धनराशि का 1/2 भाग तत्काल जमा करना होगा। शेष धनराशि माह अक्टूबर, 2022 के प्रथम सप्ताह में जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में नीलामी निरस्त कर दी जायेगी।
- 4- यदि किसी की बोली नहीं छुटती है तब ऐसी स्थिति में जमानत धनराशि चेक के माध्यम से वापस की जायेगी। नीलामी ठेका स्वीकृति उपरान्त ठेकेदार को कोविड-19 की गाईड लाईन का पालन करना होगा।
- 5- शर्तें पूरी न करने पर नगर पालिका परिषद, सम्भल के सक्षम अधिकारी को नीलामी ठेका निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 6- कैंटीन के स्वरूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/निर्माण करने से पूर्व नगर पालिका परिषद, सम्भल से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब करते हुए बेदखली की कार्यवाही की जायेगी।
- 7- कैंटीन में कोई भी क्षति होने पर उस धनराशि की वसूली जमानत धनराशि से की जायेगी।
- 8- विवाद होने की स्थिति में समस्त न्यायिक क्षेत्राधिकार जनपद-सम्भल का होगा।
- 9- नगर पालिका परिषद, सम्भल से सम्बन्धित कर्मचारी एवं प्रशासक/सभासद व इनके परिजनों को नीलामी में बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी।



210



10- कैंटीन में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई व्यवसाय नहीं किया जायेगा जिससे जन सामान्य की धार्मिक भावना आहत होती हो।

11- कोविड-19 या किसी अन्य कारण से सरकार के दिशा निर्देशों के अधीन कैंटीन संचालन पर रोक लगाने की दशा में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी। समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

12- नालामी ठेका स्वीकृति उपरान्त उस व्यक्ति को कुल धनराशि का 4 प्रतिशत स्टाम्प जमा करना अनिवार्य होगा।

नगर पालिका परिषद, सम्भल की वेबसाइट www.nagarpalikasambhal.in पर उक्त नीलामी से सम्बन्धित विवरण, शर्तें देखी जा सकती हैं एवं विस्तृत जानकारी कार्यालय दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

अधिशायी अधिकारी

नगर पालिका परिषद, सम्भल
पत्र संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि:-

1. सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र ~~अगर उषा/इन्दुगता/स्वप्न~~ सम्भल को अपने अगामी अंक में छोटे आकार में कम से कम व्यय पर एक बार प्रकाशन हेतु।

2. नगर पालिका परिषद, सम्भल की वेबसाइट www.nagarpalikasambhal.in पर अपलोड करने हेतु।

अधिशायी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, सम्भल

प्रशासक
नगर पालिका परिषद, सम्भल

16.05.22